**स्व-घोषणा पत्र**

**(Self-Declaration Certificate)**

(मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017, यथासंशोधित, दिनांक 31 जुलाई 2026 के नियम 5(14) के अंतर्गत)

मैं श्री/श्रीमती ____________________________ पद– सचिव, समिति/ट्रस्ट ____________________________ एवं श्री/श्रीमती ____________________________ पद– प्राचार्य, विद्यालय ____________________________, पता ____________, **संयुक्त रूप से यह घोषणा करते हैं कि विद्यालय** ** (बोर्ड का नाम)** से संबद्ध/संबद्धता हेतु आवेदनरत है तथा मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017, यथासंशोधित दिनांक 31 जुलाई 2026 के नियम 5(14), संबंधित बोर्ड के समस्त लागू नियमों/उपनियमों तथा विद्यालय एवं विद्यार्थियों पर लागू समस्त केंद्रीय एवं राज्य अधिनियमों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, शासन आदेशों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है तथा भविष्य में भी किया जाएगा :-

**1. भूमि एवं भवन**

विद्यालय का निर्मित भवन एवं खुला परिसर विद्यार्थियों की संख्या एवं संचालित कक्षाओं के अनुपात में पर्याप्त है तथा भवन की संरचनात्मक मजबूती, सुरक्षा, प्रकाश, वेंटिलेशन, स्वच्छता, अग्नि-सुरक्षा एवं अन्य लागू मानकों का पालन किया जा रहा है; भूमि एवं भवन के संबंध में वैध स्वामित्व दस्तावेज अथवा, जहाँ लागू हो, न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि का विधिवत पंजीकृत लीज/किराया अनुबंध उपलब्ध है।

**2. उच्च तनाव विद्युत लाइन एवं पेट्रोल पंप से दूरी**

विद्यालय परिसर/भवन के ऊपर से कोई उच्च तनाव (High Tension) विद्युत लाइन नहीं गुजरती है तथा विद्युत लाइनों से भवन की ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दूरी भारतीय विद्युत नियम, 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम नहीं है; विद्यालय से नवीन पेट्रोल पंप/रिटेल आउटलेट की दूरी न्यूनतम 50 मीटर है तथा जहाँ 50 मीटर की दूरी में छूट का प्रावधान लागू हो, वहाँ भी निर्धारित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के अधीन दूरी 30 मीटर से कम नहीं है।

**3. मदिरा दुकान से दूरी**

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय के मुख्य द्वार से किसी मदिरा दुकान की दूरी मध्यप्रदेश आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दूरी से कम नहीं है तथा वर्तमान लागू प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 100 मीटर की दूरी का पालन किया जा रहा है।

**4. दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा**

विद्यालय में दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु आवश्यक रैम्प, रेलिंग एवं अन्य सुगम्यता सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 एवं लागू नियमों के अनुसार गैर-भेदभाव, समावेशी शिक्षा एवं आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं।

**5. प्रयोगशाला**

विद्यालय में संचालित कक्षाओं के अनुसार आवश्यक प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं तथा उच्च विद्यालय में समेकित प्रयोगशाला एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान की पृथक प्रयोगशालाएँ आवश्यक उपकरण एवं सामग्री सहित विद्यार्थियों की संख्या एवं निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप उपलब्ध हैं।

**6. ICT शिक्षा**

विद्यालय में विद्यार्थियों हेतु आवश्यक ICT सुविधाएँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता, ई-लर्निंग एवं डिजिटल सामग्री के उपयोग की व्यवस्था उपलब्ध है तथा साइबर सुरक्षा संबंधी लागू निर्देशों का पालन किया जाता है।

**7. पुस्तकालय**

विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त पुस्तकालय/वाचनालय उपलब्ध है तथा पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त आयु-उपयुक्त कथा साहित्य, संदर्भ पुस्तकें, विश्वकोश, जर्नल, पत्रिकाएँ एवं ई-पुस्तकें उपलब्ध हैं।

**8. खेल मैदान एवं खेल सुविधाएँ**

विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त खेल मैदान/खेल सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा परिसर में सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में विद्यालय से 500 मीटर के दायरे में सुरक्षित एवं सुविधाजनक खेल सुविधा उपलब्ध/व्यवस्थित है।

**9. शौचालय, स्वच्छता एवं पेयजल**

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों के लिए पृथक एवं पर्याप्त शौचालय तथा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है।

**10. शिक्षक एवं शिक्षण व्यवस्था**

विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं तथा उनकी योग्यता निर्धारित मानकों के अनुरूप है; ICT, खेल, संगीत एवं काउंसलिंग हेतु आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध है; शिक्षण कार्य निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर एवं अनुदेशात्मक घंटों के अनुसार किया जाता है तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति संधारित की जाती है।

**11. सुरक्षा जमा राशि**

विद्यालय द्वारा मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु नियम 5(11) के अनुसार निर्धारित सुरक्षा जमा राशि जमा की गई है/जमा की जाएगी तथा उक्त राशि नियमों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में रखी गई है/रखी जाएगी।

**12. नियमित स्वास्थ्य परीक्षण**

विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी का वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है तथा प्रत्येक विद्यार्थी का स्वास्थ्य अभिलेख/हेल्थ कार्ड संधारित किया जाता है।

**13. राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान**

विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय पर्वों एवं निर्धारित अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान के संबंध में लागू कानूनों एवं शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाता है।

**14. शिक्षण एवं मूल्यांकन**

विद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियों तथा विद्यार्थियों के समग्र एवं सतत मूल्यांकन संबंधी शासन/संबंधित बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाता है।

**15. बाल संरक्षण एवं POCSO**

विद्यालय द्वारा **Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012** एवं उसके अंतर्गत लागू नियमों का पालन किया जाता है तथा बाल यौन अपराधों की रोकथाम, जागरूकता, शिकायत एवं अनिवार्य रिपोर्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है; साथ ही **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015** एवं उसके लागू प्रावधानों का पालन किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

**16. लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम**

जहाँ लागू हो, विद्यालय द्वारा **Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013** के अनुसार Internal Committee का गठन किया गया है तथा शिकायत निवारण, जागरूकता, प्रशिक्षण एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाता है।

**17. शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न**

विद्यालय में किसी विद्यार्थी को शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, अपमानजनक, क्रूर अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता तथा जहाँ लागू हो **Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009** के संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाता है।

**18. विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण का संरक्षण**

विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण की रक्षा हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाता है; विद्यार्थियों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव नहीं डाला जाता, मानसिक संकट/तनाव के प्रारंभिक संकेतों की पहचान, काउंसलिंग/रेफरल, अभिभावक जागरूकता, जीवन-कौशल एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तथा आवश्यक सहायता एवं शिकायत निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

**19. विद्यालय सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन**

विद्यालय द्वारा Guidelines on School Safety and Security, 2021, National Building Code तथा अग्नि, भवन, विद्युत, आपदा एवं विद्यार्थी सुरक्षा संबंधी लागू मानकों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाता है तथा आपातकालीन निकासी एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है।

**20. वाहन सुविधा एवं सुरक्षा**

यदि विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो लागू मोटर वाहन कानूनों, राज्य परिवहन विभाग के नियमों एवं स्कूल वाहन सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन किया जाता है तथा वाहन की वैधता, फिटनेस, परमिट, बीमा, चालक/परिचालक/अटेंडेंट की पात्रता एवं सत्यापन, प्राथमिक उपचार एवं अग्नि सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

**21. तंबाकू एवं नशीले पदार्थों से मुक्त विद्यालय**

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय परिसर में तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन/उपयोग नहीं किया जाता तथा COTPA, 2003, Tobacco-Free Educational Institution Guidelines एवं लागू शासन निर्देशों का पालन किया जाता है; विद्यालय के 100 गज के क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विरुद्ध आवश्यक सूचना/चिह्न प्रदर्शित किए जाते हैं।

**22. परीक्षा एवं शासकीय/राज्य स्तरीय आयोजनों में सहयोग**

विद्यालय द्वारा शासन/शिक्षा विभाग/संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेल, सांस्कृतिक एवं अन्य निर्धारित आयोजनों हेतु आवश्यकता होने पर नियमों के अनुसार शिक्षक, कर्मचारी, भवन, खेल मैदान एवं अन्य उपलब्ध संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा संबंधित निर्देशों का पालन किया जाएगा।

**23. वेबसाइट एवं सूचना का प्रकटीकरण**

विद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर विद्यालय का स्थान, संबद्ध बोर्ड, पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों की संख्या, भूमि, भवन, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, खेल सुविधाएँ तथा कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों सहित लागू नियमों के अनुसार आवश्यक विवरण उपलब्ध एवं अद्यतन रखा जाता है।

**24. आवासीय सुविधा**

यदि विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों हेतु छात्रावास/आवासीय सुविधा संचालित की जाती है तो मान्यता नियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संबंधित मानकों एवं सुरक्षा प्रावधानों का पालन किया जाता है।

**25. विद्यालय परिसर में गैर-शैक्षणिक गतिविधि**

विद्यालय परिसर में शिक्षण के अतिरिक्त किसी गैर-शैक्षणिक संस्था की गतिविधि अथवा गैर-शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जाता।

**26. पाठ्यक्रम एवं संबद्धता**

विद्यालय द्वारा संबद्ध बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का ही संचालन किया जाता है तथा संबंधित बोर्ड के समस्त लागू नियमों, उपनियमों, शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन किया जाता है।

**27. विद्यालय के नाम/स्थान में परिवर्तन**

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय के नाम अथवा संचालन स्थल में कोई परिवर्तन मान्यता नियमों में निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा तथा अतिरिक्त स्थान पर संचालन हेतु आवश्यक पृथक मान्यता प्राप्त की जाएगी।

**28. अन्य लागू विधिक प्रावधान**

विद्यालय द्वारा, जहाँ लागू हो, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, POCSO Act, 2012, Juvenile Justice Act, 2015, POSH Act, 2013, COTPA, 2003, अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन, बाल संरक्षण एवं अन्य संबंधित केंद्रीय/राज्य कानूनों, नियमों तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

**29. नियमों के उल्लंघन पर दायित्व**

हम यह स्वीकार करते हैं कि यदि इस स्व-घोषणा पत्र में की गई कोई घोषणा असत्य पाई जाती है अथवा विद्यालय द्वारा मान्यता नियमों/लागू कानूनों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नियम 5(14) के अनुसार ₹2,00,000/- तक की शास्ति अधिरोपित की जा सकती है तथा नियमों के अनुसार विद्यालय की मान्यता के निलंबन/निरस्तीकरण एवं संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त समस्त बिंदुओं के संबंध में हम दोनों हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त रूप से यह सत्य एवं पूर्ण घोषणा करते हैं कि दी गई जानकारी हमारे ज्ञान एवं अभिलेख के अनुसार सही है तथा विद्यालय द्वारा उपर्युक्त नियमों एवं लागू विधिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

**दिनांक** : ____________

**स्थान :** ____________

| **हस्ताक्षरकर्ता–1** | **हस्ताक्षरकर्ता–2** |
|---|---|
| **सचिव, प्रबंध समिति/ट्रस्ट** | **प्राचार्य, विद्यालय** |
| नाम: ____________ | नाम: ____________ |
| समिति/ट्रस्ट: ____________ | विद्यालय: ____________ |

Scanned with OKEN Scanner

हस्ताक्षरकर्ता–1

मोबाइल: ____________

ई-मेल: ____________

**e-Signature**

समिति/ट्रस्ट की मुहर

हस्ताक्षरकर्ता–2

मोबाइल: ____________

ई-मेल: ____________

**e-Signature**

विद्यालय की मुहर

Scanned with OKEN Scanner